

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 13 (20)कार्मिक/क-2/91/पाट

जयपुर, दिनांक 28/02/2020


परिपत्र

इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 13 (20)कार्मिक/क-2/91 दिनांक 26.3.99 के द्वारा बारां जिले की शाहबाज व किशनगंज तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती में रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये गये हैं। तत्पश्चात जारी निर्देश दिनांक 21.5.13 के द्वारा बारां जिले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं की सीधी भर्ती में उक्त वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विधि (विधि प्रारूपण) विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.2.19 के द्वारा सीधी भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग की जाति के लिए 5 प्रतिशत एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.2.19 आर्थिक कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है जिसके पश्चात इस विभाग के समसंख्यक निर्देश दिनांक 16.1.2020 के अनुसार वर्तमान में बारां जिले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 8 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के लिए 10 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

बारां जिले की समस्त तहसीलों में आरक्षण के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 16.1.2020 राज्य सेवाओं में लागू नहीं होने के कारण राज्य सेवाओं के सभी पदों की सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों पर अ.जा./अ.ज.जा./पि.व/अति.पि.व./आ.क.व. के लिए आरक्षण क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के आधार पर प्रचलित रोस्टर के अनुसार ही रहेगा।

अतः बारां जिले में उक्त प्रवर्गों की सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए उक्त आरक्षण के प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से आज्ञा दिनांक 26.3.99 के द्वारा निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के अतिक्रमण में उक्त प्रवर्गों के **संलग्न परिशिष्ट** में रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये जाते हैं।


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(रोली सिंह)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर।
6. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष।


(जय सिंह)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


उप शासनी सचिव

20/2020

परिशिष्ट

बारां जिले की समस्त तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती में रोस्टर बिन्दु :

क्र.स.	सहरिया आदिम जाति 25%	पिछडा वर्ग 10%	अनुसूचित जाति 8%	अनुसूचित जनजाति 6%	अति पिछडा वर्ग 5%	आर्थिक कमजोर वर्ग 10%	प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किया जाना चाहिए
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	0.25	0.10	0.08	0.06	0.05	0.10	अनारक्षित
2.	0.50	0.20	0.16	0.12	0.1	0.20	अनारक्षित
3.	0.75	0.30	0.24	0.18	0.15	0.30	अनारक्षित
4.	1.00	0.40	0.32	0.24	0.2	0.40	सहरिया-1
5.	1.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.50	अनारक्षित
6.	1.50	0.60	0.48	0.36	0.3	0.60	अनारक्षित
7.	1.75	0.70	0.56	0.42	0.35	0.70	अनारक्षित
8.	2.00	0.80	0.64	0.48	0.4	0.80	सहरिया-2
9.	2.25	0.90	0.72	0.54	0.45	0.90	अनारक्षित
10.	2.50	1.00	0.80	0.60	0.5	1.00	आ.क.व.-1
11.	2.75	1.10	0.88	0.66	0.55	1.10	पि.व.-1
12.	3.00	1.20	0.96	0.72	0.6	1.20	सहरिया-3
13.	3.25	1.30	1.04	0.78	0.65	1.30	अ.जा.-1
14.	3.50	1.40	1.12	0.84	0.7	1.40	अनारक्षित
15.	3.75	1.50	1.20	0.90	0.75	1.50	अनारक्षित
16.	4.00	1.60	1.28	0.96	0.8	1.60	सहरिया-4
17.	4.25	1.70	1.36	1.02	0.85	1.70	अ.ज.जा.-1
18.	4.50	1.80	1.44	1.08	0.9	1.80	अनारक्षित
19.	4.75	1.90	1.52	1.14	0.95	1.90	अनारक्षित
20.	5.00	2.00	1.60	1.20	1	2.00	सहरिया-5
21.	5.25	2.10	1.68	1.26	1.05	2.10	अति.पि.व.-1
22.	5.50	2.20	1.76	1.32	1.1	2.20	आ.क.व.-2
23.	5.75	2.30	1.84	1.38	1.15	2.30	पि.व.-2
24.	6.00	2.40	1.92	1.44	1.2	2.40	सहरिया-6
25.	6.25	2.50	2.00	1.50	1.25	2.50	अ.जा.-2
26.	6.50	2.60	2.08	1.56	1.3	2.60	अनारक्षित
27.	6.75	2.70	2.16	1.62	1.35	2.70	अनारक्षित
28.	7.00	2.80	2.24	1.68	1.4	2.80	सहरिया-7
29.	7.25	2.90	2.32	1.74	1.45	2.90	अनारक्षित
30.	7.50	3.00	2.40	1.80	1.5	3.00	आ.क.व.-3
31.	7.75	3.10	2.48	1.86	1.55	3.10	पि.व.-3

32.	8.00	3.20	2.56	1.92	1.6	3.20	सहरिया-8
33.	8.25	3.30	2.64	1.98	1.65	3.30	अनारक्षित
34.	8.50	3.40	2.72	2.04	1.7	3.40	अ.ज.जा.-2
35.	8.75	3.50	2.80	2.10	1.75	3.50	अनारक्षित
36.	9.00	3.60	2.88	2.16	1.8	3.60	सहरिया-9
37.	9.25	3.70	2.96	2.22	1.85	3.70	अनारक्षित
38.	9.50	3.80	3.04	2.28	1.9	3.80	अ.जा.-3
39.	9.75	3.90	3.12	2.34	1.95	3.90	अनारक्षित
40.	10.00	4.00	3.20	2.40	2	4.00	अति. पि.व.-2
41.	10.25	4.10	3.28	2.46	2.05	4.10	आ.क.व.-4
42.	10.50	4.20	3.36	2.52	2.1	4.20	सहरिया-10
43.	10.75	4.30	3.44	2.58	2.15	4.30	पि.व.-4
44.	11.00	4.40	3.52	2.64	2.2	4.40	सहरिया-11
45.	11.25	4.50	3.60	2.70	2.25	4.50	अनारक्षित
46.	11.50	4.60	3.68	2.76	2.3	4.60	अनारक्षित
47.	11.75	4.70	3.76	2.82	2.35	4.70	अनारक्षित
48.	12.00	4.80	3.84	2.88	2.4	4.80	सहरिया-12
49.	12.25	4.90	3.92	2.94	2.45	4.90	अनारक्षित
50.	12.50	5.00	4.00	3.00	2.5	5.00	अ.ज.जा.-3
51.	12.75	5.10	4.08	3.06	2.55	5.10	अ.जा.-4
52.	13.00	5.20	4.16	3.12	2.6	5.20	आ.क.व.-5
53.	13.25	5.30	4.24	3.10	2.65	5.30	सहरिया-13
54.	13.50	5.40	4.32	3.24	2.7	5.40	पि.व.-5
55.	13.75	5.50	4.40	3.30	2.75	5.50	अनारक्षित
56.	14.00	5.60	4.48	3.36	2.8	5.60	सहरिया-14
57.	14.25	5.70	4.56	3.42	2.85	5.70	अनारक्षित
58.	14.50	5.80	4.64	3.48	2.9	5.80	अनारक्षित
59.	14.75	5.90	4.72	3.54	2.95	5.90	अनारक्षित
60.	15.00	6.00	4.80	3.60	3	6.00	अति.पि.व.-3
61.	15.25	6.10	4.88	3.66	3.05	6.10	सहरिया-15
62.	15.50	6.20	4.96	3.72	3.1	6.20	आ.क.व.-6
63.	15.75	6.30	5.04	3.78	3.15	6.30	अ.जा.-5
64.	16.00	6.40	5.12	3.84	3.2	6.40	पि.व.-6
65.	16.25	6.50	5.20	3.90	3.25	6.50	सहरिया-16
66.	16.50	6.60	5.28	3.96	3.3	6.60	अनारक्षित
67.	16.75	6.70	5.36	4.02	3.35	6.70	अ.ज.जा.-4
68.	17.00	6.80	5.44	4.08	3.4	6.80	सहरिया-17
69.	17.25	6.90	5.52	4.14	3.45	6.90	अनारक्षित
70.	17.50	7.00	5.60	4.20	3.5	7.00	आ.क.व.-7

71.	17.75	7.10	5.68	4.26	3.55	7.10	पि.व.-7
72.	18.00	7.20	5.76	4.32	3.6	7.20	सहरिया-18
73.	18.25	7.30	5.84	4.38	3.65	7.30	अनारक्षित
74.	18.50	7.40	5.92	4.44	3.7	7.40	अनारक्षित
75.	18.75	7.50	6.00	4.50	3.75	7.50	अ.जा.-6
76.	19.00	7.60	6.08	4.56	3.8	7.60	सहरिया-19
77.	19.25	7.70	6.16	4.62	3.85	7.70	अनारक्षित
78.	19.50	7.80	6.24	4.68	3.9	7.80	अनारक्षित
79.	19.75	7.90	6.32	4.74	3.95	7.90	अनारक्षित
80.	20.00	8.00	6.40	4.80	4	8.00	अति.पि.व.-4
81.	20.25	8.10	6.48	4.86	4.05	8.10	आ.क.व.-8
82.	20.50	8.20	6.56	4.92	4.1	8.20	सहरिया-20
83.	20.75	8.30	6.64	4.98	4.15	8.30	पि.व.-8
84.	21.00	8.40	6.72	5.04	4.2	8.40	अ.ज.जा.-5
85.	21.25	8.50	6.80	5.10	4.25	8.50	सहरिया-21
86.	21.50	8.60	6.88	5.16	4.3	8.60	अनारक्षित
87.	21.75	8.70	6.96	5.22	4.35	8.70	अनारक्षित
88.	22.00	8.80	7.04	5.28	4.4	8.80	अ.जा.-7
89.	22.25	8.90	7.12	5.34	4.45	8.90	सहरिया-22
90.	22.50	9.00	7.20	5.40	4.5	9.00	आ.क.व.-9
91.	22.75	9.10	7.28	5.46	4.55	9.10	पि.व.-9
92.	23.00	9.20	7.36	5.52	4.6	9.20	सहरिया-23
93.	23.25	9.30	7.44	5.58	4.65	9.30	अनारक्षित
94.	23.50	9.40	7.52	5.64	4.7	9.40	अनारक्षित
95.	23.75	9.50	7.60	5.70	4.75	9.50	अ.ज.जा.-6
96.	24.00	9.60	7.68	5.76	4.8	9.60	सहरिया-24
97.	24.25	9.70	7.76	5.82	4.85	9.70	अति.पि.व.-5
98.	24.50	9.80	7.84	5.88	4.9	9.80	आ.क.व.-10
99.	24.75	9.90	7.92	5.94	4.95	9.90	पि.व.-10
100.	25.00	10.00	8.00	6.00	5	10.00	सहरिया-25

टिप्पण: चिन्हित प्रवर्ग जो अनुसूची में दर्शाया गया है, निम्नवत है -

1.	आ.क.व.	आर्थिक कमजोर वर्ग
2.	पि.व.	पिछड़ा वर्ग
3.	अ.जा.	अनुसूचित जाति
4.	अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति